

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। पहले अध्याय में राज्य की वित्तीय रूपरेखा, लेखापरीक्षा की आयोजना और संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं। दूसरा अध्याय, दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्ष से सम्बन्धित हैं और तीसरा अध्याय, सहकारिता, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वन, नर्मदा घाटी विकास, लोक निर्माण और जल संसाधन विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों का कूल धन मूल्य ₹ 1,705.33 करोड़ है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित किया गया है। लेखापरीक्षा नमूने सांख्यिकीय नमूनों के आधार पर लिए गए हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा विधि प्रत्येक निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा में दर्शाई गई है। निकाले गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष और अनुशंसाएं शासन के विचारों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है :—

1. निष्पादन लेखापरीक्षाएं

1.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एक केन्द्र प्रायोजित फसल विकास योजना है जिसका उद्देश्य खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करना और मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना है।

मध्य प्रदेश में योजना, एनएफएसएम –धान के अन्तर्गत आठ जिलों में, एनएफएसएम–गेहूं के अन्तर्गत 17 जिलों में तथा एनएफएसएम – दलहन के अन्तर्गत सभी 51 जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी। 2014–15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–मोटा अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – वाणिज्यिक फसलें क्रमशः 16 जिलों और आठ जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी। राज्य द्वारा भारत सरकार से इस योजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 2012–13 से 2015–16 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान राशि ₹ 1,051.41 करोड़ में से राशि ₹ 945.18 करोड़ का व्यय किया है।

अवधि 2012–13 से 2015–16 के निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

एनएफएसएम जिलों में खाद्यान्न उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त उत्पादन के योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की उनकी प्रगति को ज्ञात नहीं किया जा सका।

2012–16 के दौरान राज्य में एनएफएसएम के अन्तर्गत ₹ 945.18 करोड़ व्यय करने के बाद भी राज्य के कुल किसानों में से केवल दो प्रतिशत किसान ही इस योजना से लाभान्वित हुए।

खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र

राज्य स्तर पर धान की बुवाई क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 26 प्रतिशत की तुलना में, योजना से एनएफएसएम – जिलों में धान के बुवाई क्षेत्र में केवल पांच प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की जा सकी। एनएफएसएम–गेहूं जिले में भी सतत वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बुवाई क्षेत्रफलों में पूर्व वर्ष की तुलना में 2014–15 में कमी आई। दालों के उत्पादन में 2012–13 की तुलना में 2013–14 में 22 प्रतिशत और 2014–15 में 14 प्रतिशत की काफी कमी आई। यद्यपि, त्रैमासिक बजट प्रणाली, कम वर्षा, सूखा इत्यादि के कारण

एनएफएसएम के अन्तर्गत प्राप्त निधि का विभाग द्वारा उपयोग, 2012–13 में 95 प्रतिशत से 2015–16 में 64 प्रतिशत तक घट गया।

(कंडिका 2.1.6)

गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण

विभाग ने समय पर पर्याप्त बीजों को उपलब्ध नहीं कराया। इसके परिणामस्वरूप, सभी किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के अनुदान मूल्य पर वितरण के योजना के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा किये गये एक हितग्राही सर्वेक्षण में प्रकट हुआ कि 260 में से 250 किसानों ने, विभाग द्वारा प्रदान किये गये गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि को इंगित किया।

किसानों को वितरित किये गये बीजों का गुणवत्ता परीक्षण इनको बोने से पहले, जिला कार्यालय सुनिश्चित नहीं कर सके, जिसने उत्पादन और किसान की आय उपार्जन को जोखिम में डाल दिया।

(कंडिका 2.1.8)

आपूर्ति हेतु एजेंसियाँ एवं सब्सिडी हेतु मानक

जैसा कि एनएफएसएम के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक था, विभाग ने एजेंसियों और कृषि उपकरणों की दर को निर्धारित नहीं किया। किसानों को कृषि उपकरणों के क्रय में सहायता के परिणामस्वरूप ₹ 261.81 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

कृषि उपकरणों जैसे पाइपों और स्प्रिंकलर सेटों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के मानकों का पालन विभाग द्वारा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा 14 जिलों में 8,337 किसानों को ₹ 5.11 करोड़ की अनियमित सब्सिडी उपलब्ध कराई गई।

(कंडिका 2.1.11)

फील्ड प्रदर्शन

फसल प्रणाली प्रदर्शनों को संचालित करने में कमी, वैज्ञानिकों की भागीदारी की कमी और प्रदर्शन के परिणामों को तैयार करने में कमियों के कारण समुन्नत विधियों के ज्ञान को फैलाने के फील्ड प्रदर्शन के उद्देश्य अधिकांशतया पूर्ण नहीं हुए। आठ नमूना जांच जिलों में, 1.74 लाख प्रदर्शनों पर ₹ 91.71 करोड़ का व्यय प्रदर्शनों के परिणामों को निर्धारित अभिलेखों में संधारित करने की विफलता के कारण निष्फल रहा।

(कंडिका 2.1.9)

योजना के कार्यान्वयन की आयोजनाएं

राज्य में योजना के कार्यान्वयन का परिप्रेक्ष्य आयोजना तैयार नहीं किया गया। बेसलाइन सर्वे और व्यवहार्यता अध्ययन भी नहीं किये गए, जिसके कारण फसल उत्पादकता और इसकी संभावना का आंकलन नहीं हो पाया। ब्लॉक कार्यालयों से जिला वार्षिक कार्यवाही आयोजना तैयार करने के लिए जानकारियाँ नहीं ली गईं।

(कंडिका 2.1.7)

योजना की निगरानी

विभाग के राज्य और जिला स्तर पर अपर्याप्त समन्वय से परियोजना प्रबंधन टीमों की उचित कार्य प्रक्रिया को सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण योजना की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी प्रभावित हुई।

(कंडिका 2.1.16)

(ii) मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (एमपीडब्ल्यूएसआरपी) को 2004 में प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य छह चयनित नदी क्षेत्रों (चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोंस और वैनगंगा) के 6.18 लाख हेक्टेयर कृषियोग्य क्षेत्र (सीसीए) में विद्यमान सिंचाई परिसम्पत्तियों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण करना था। परियोजना का प्रशासकीय अनुमोदन ₹ 1,919 करोड़ (अगस्त 2004) से ₹ 2,498 करोड़ (अप्रैल 2015) पुनरीक्षित किया गया। एमपीडब्ल्यूएसआरपी, पांच समय विस्तारों के पश्चात, ₹ 2,497.52 करोड़ व्यय करने के बाद जून 2015 में बंद कर दिया गया।

अवधि 2010–16 के दौरान एमपीडब्ल्यूएसआरपी की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पता चला:

परियोजना के कार्यक्षेत्र में बदलाव

एमपीडब्ल्यूएसआरपी के कार्यक्षेत्र को जून 2012 में पुनर्गठित किया गया और 362 सिंचाई योजनाओं को विभाग द्वारा परियोजना कार्यान्वयन आयोजना (पीआईपी) के अनुसार पूरा न करने के परिणामस्वरूप छोड़ दिया गया। चंबल नहर प्रणाली के आसान क्रियान्वयन ने जल संसाधन विभाग को जून 2012 में परियोजना के पुनर्गठन के बाद इस पर अधिक जोर देने को प्रेरित किया। चंबल नहर प्रणाली के लिए 2012–13 से 2013–14 के दौरान ₹ 606.24 करोड़ लागत (एमपीडब्ल्यूएसआरपी के अन्तर्गत कुल व्यय का 24 प्रतिशत) के कार्य लिए गए थे। इन कार्यों का, सीमेंट क्रंकीट लाईनिंग, जिसको आसानी से थोड़े समय में कार्यान्वयित किया जा सकता था, कार्य 94.29 प्रतिशत भाग था। योजना को समाप्त करने के लिए, चंबल नहर प्रणाली पर अधिक जोर देने से विभाग को वांछित वित्तीय प्रगति प्राप्त करने में सहायता हुई। यद्यपि, इसने मध्यम एवं लघु योजनाओं के सीसीए की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(कंडिका 2.2.7.1)

कृषि सघनता और विविधीकरण

मध्य प्रदेश शासन के लाइन विभागों (जल संसाधन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी) जबलपुर), के प्रभावी सहयोग के माध्यम से कृषि सघनता और विविधीकरण के लिए एमपीडब्ल्यूएसआरपी परिकल्पित था। लाइन विभागों के साथ कमजोर एकीकरण, किसानों को सतत जल आपूर्ति के अभाव, विस्तार गतिविधियों के अभाव और जल उपभोक्ता संस्था को प्रशिक्षण की कमी के कारण कृषि सघनता एवं विविधीकरण एमपीडब्ल्यूएसआरपी के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप नहीं थी।

हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान, 334 में से 133 (40 प्रतिशत) कृषकों ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास के किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेने की सूचना दी। इस प्रकार, फसल के विविधीकरण के लाभों के प्रति कृषकों को जागरूक करने के संस्थागत प्रयास में कमी थी।

पीआईपी में कृषि विविधीकरण के लिए चना, अरहर और सरसों के बुआई क्षेत्र के प्रभाव को संकेतक के रूप में चिन्हित किया गया था। 2011–12 की तुलना में 2014–15 में चना एवं अरहर के बुआई क्षेत्र में क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत तक की कमी थी। आगे, 2012–13 की तुलना में 2014–15 में सरसों की बुआई क्षेत्र में 19 प्रतिशत की कमी आई। फलों, सब्जियों और मसालों का पौधारोपण क्षेत्र में 2.90 प्रतिशत से

7.31 प्रतिशत तक कम रहा, जो कि पीआईपी में परिकल्पित सिंचाई क्षेत्र के लक्ष्य 21 प्रतिशत के विरुद्ध और राज्य के औसत नौ प्रतिषत से भी नीचे था।

(कंडिका 2.2.7.4)

ठेका प्रबंधन और क्रियान्वयन

कार्यों की आयोजना और क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण ₹ 9.38 करोड़ के परिहार्य प्रतिबद्धता प्रभारों का दायित्व निर्मित हुआ।

(कंडिका 2.2.8.1)

योजना आधुनिकीकरण आयोजनाओं में फील्ड चैनलों, जल प्रवाहों और खेत नालियों के लिए प्रावधान किया गया था। परन्तु, ये कार्य चंबल नहर प्रणाली में क्रियान्वित नहीं किये गये। परिणामस्वरूप, सूक्ष्म वितरण नेटवर्क और नहर स्वचालन के लिए चिन्हित ₹ 205.52 करोड़ अन्य कार्यों के लिए व्यपर्वर्तित किए गए।

योजना आधुनिकीकरण आयोजनाओं (एसएमपी) के कार्य क्षेत्र से परे, नहर के सीसी लाईनिंग की अधिक मात्रा और लंबाई के क्रियान्वयन में ₹ 263.85 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण व्यय किया गया।

(कंडिकाएं 2.2.7.3 एवं 2.2.8.3)

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण (एनसीबी) के साथ संलग्न विशिष्टियों के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप मिट्टी कार्यों की ट्रिमिंग और नहर की सीसी लाईनिंग के कार्यों के अतिरिक्त, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण से राशि ₹ 65.18 करोड़ की अनियमितता हुई।

(कंडिकाएं 2.2.9.2, 2.2.9.4, 2.2.9.6 और 2.2.10.3)

अतिरिक्त सुरक्षा जमा, क्षतिपूर्ति वसूलियों, रॉयल्टी प्रभारों और कार्यों के बीमा कवरेज के प्रकरणों के सम्बन्ध में अनुबंध शर्तों का पालन अपर्याप्त था जिससे ₹ 68.74 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ दिया गया।

(कंडिकाएं 2.2.9.9, 2.2.9.10, 2.2.9.11 और 2.2.9.12)

दर अनुसूचियों के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया जिससे गिट्टी की गलत लीड, इम्बैकमेंट की गलत दर तथा ब्लास्टिंग मद के साथ श्रिंकेज अलाउंस के कारण अधिक भुगतान से ₹ 24.02 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिकाएं 2.2.9.3, 2.2.9.5, 2.2.9.7 और 2.2.9.14)

विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी अपर्याप्त थी क्योंकि कार्यों के कोर परीक्षणों को सुनिश्चित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 20.47 करोड़ की अदेय वित्तीय सहायता हुई।

(कंडिका 2.2.10.3)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) सड़क कार्यों के प्राक्कलनों की तैयारी पर लेखापरीक्षा

राज्य के 57 लोक निर्माण संभागों में से नमूना जांच किए गए 12 संभागों ने अवधि 2012–16 के दौरान ₹ 1,699.25 करोड़ लागत के 391 सड़क कार्यों को क्रियान्वित किया। इनमें से, ₹ 1,250.74 करोड़ लागत के 196 सड़क कार्यों के प्राक्कलनों की लेखापरीक्षा की गई, जिससे प्रकट हुआ कि:

सभी नमूना जांच किए गए 196 प्राक्कलनों में सड़क कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने हेतु पूर्व अपेक्षित गतिविधियाँ जैसे व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, क्रियान्वयन के समय प्राक्कलनों से वृहद विचलन थे।

(कंडिका 3.1.2.1)

नमूना जांच किए गए प्राक्कलनों में वास्तविक जमीनी स्तरों के लिए बिना औसत मोटाई लेकर मिट्टी कार्य की मात्राओं का प्रावधान किया गया। 103 सड़क कार्यों के लेवल्स लेने में विफलता और 93 सड़क कार्यों में त्रुटिपूर्ण लेवल्स विचार में लेने के कारण प्राक्कलनों में मिट्टीकार्य की मात्रा के सही ढंग से प्रावधान नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 68 सड़क कार्यों में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन हुए।

(कंडिका 3.1.2.2)

वन और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्राक्कलन में पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए बिना सड़क कार्य सौंपे गये थे। जिसके परिणामस्वरूप 196 नमूना जांच किये गये सड़क कार्यों में से 26 सड़क कार्यों में दो महीने से छह वर्ष तक का विलंब हुआ, जिनमें 15 सड़क कार्य शामिल हैं जिन पर ₹ 66.86 करोड़ का व्यय किया गया था किन्तु 21 से 68 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अधूरे पड़े थे।

(कंडिका 3.1.2.4)

दस प्राक्कलनों में उपयोगिताओं के स्थानांतरण की लागत का प्रावधान संबंधित विभागों से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कल्पना के आधार पर किया गया था परिणामस्वरूप सड़कों के निर्माण में 11 माह से 27 माह के विलंब के अलावा सड़क की लागत में ₹ 7.14 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 3.1.2.5)

तरह प्राक्कलनों में, सड़क की क्रस्ट के लिए यातायात डिजाइन की गलत तरीके से गणना के परिणामस्वरूप 10 प्राक्कलनों में अवमानक विशिष्टियाँ अपनायी गई एवं तीन प्राक्कलनों में महंगी विशिष्टियाँ के कारण ₹ 2.98 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत हुई। यह भी देखा गया कि 20 प्राक्कलनों में यद्यपि डिजाइन यातायात सही ढंग से संगणित किए गए थे, लेकिन विभाग की गलती से महंगी विशिष्टियाँ अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।

(कंडिका 3.1.3.1)

क्रास ड्रेनेज (96 प्राक्कलनों में) और सड़क की लंबाई (30 प्राक्कलनों में) के प्रावधान, सर्वेक्षण और अनुसंधान के बिना किए गए थे। परिणामस्वरूप, 94 प्राक्कलनों में बड़े विचलन देखे गए थे, जिससे ₹ 32.56 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था। इसी तरह, छह सड़कों के प्राक्कलनों में विनिर्दिष्टों में सड़क की लंबाई में तीन किलो मीटर तक की वृद्धि हुई और 24 सड़कों के कार्य में 10.5 किलोमीटर तक की कमी आई थी।

(कंडिका 3.1.4.1 और 3.1.4.2)

(ii) फसल बीमा योजना पर लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से फसल खराब होने के कारण किसानों की वित्तीय हानि कम करने के लिए रबी 1999–2000 के मौसम से शुरू की गई थी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (ए.आई.सी.) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी थी। लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि:

राज्य में किसानों की कुल संख्या 88.72 लाख में से, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का कवरेज 14.58 प्रतिशत (रबी 2010–11) से 33.80 प्रतिशत

(खरीफ 2015) तक बढ़ा। कवरेज में वृद्धि ऋणी किसानों के अनिवार्य बीमा के कारण ही हुई थी, जैसा कि रबी 2010–11 से खरीफ 2015 के दौरान मात्र 2,841 गैर ऋणी किसानों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया। यद्यपि, योजना के अंतर्गत किसानों का 14.58 प्रतिशत से 33.80 प्रतिशत तक के अपर्याप्त कवरेज किए जाने पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कृषि आय को स्थिर करने के उद्देश्यों को विशेष रूप से आपदा के वर्षों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

(कंडिका 3.2.2.1)

राज्य सरकार योजना के फसल वार समाहित किये जाने वाले क्षेत्र को समय पर अधिसूचित करने में विफल रही और अधिसूचना में आठ माह के अन्तर तक के विलंब हुए।

बीमा एजेंसी द्वारा घोषणा की प्राप्ति के लिए नियत दिनांक के बाद के इन क्षेत्रों के लिए अधिसूचनाओं को जारी करने में विलंब के कारण 120 पटवारी हल्कों के किसान इस योजना के लाभों से वंचित रहे।

(कंडिका 3.2.2.2)

फसल काटने के प्रयोगों के परिणाम प्रदान करने में अधीक्षक भू-अभिलेख एवं कृषि उप संचालक की विफलता के परिणामस्वरूप, एआईसी 6,702 पटवारी हल्कों में किसानों के बीमा दावों की गणना नहीं कर सका।

(कंडिका 3.2.2.3)

बीमांकिक व्यवस्था में, कृषि बीमा कंपनी अपनी सांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित बीमा प्रभार में वृद्धि से किसानों के बीमा दावों को वहन करेगी। यद्यपि, राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लागू होने के पाँच वर्ष बाद भी इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। यह रबी 2010–11 से खरीफ 2015 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 692.92 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बोझ में परिणामित हुई।

(कंडिका 3.2.2.4)

रबी 2010–11 से खरीफ 2015 के दौरान किसानों के बीमा दावों के वितरण में एक माह से लेकर दो वर्षों तक का विलंब हुआ था। पांच जिलों में 256 किसानों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 16 प्रतिशत किसानों ने कहा कि वे दावों की प्राप्ति में विलंब के कारण समय पर अपने ऋण चुकता नहीं कर सके थे, और इसलिए अगले सत्र में ऋण के लिए वंचित किए गए थे। इस प्रकार, दावों के वितरण में विलंब के परिणामस्वरूप दावेदारों के लिए कठिनाई हुई।

(कंडिका 3.2.2.9)

किसानों को वित्त उपलब्ध कराने की सीमाओं का पालन करने में वित्तीय संस्थाओं की विफलता के कारण किसानों के द्वारा प्रस्तुत बीमा दावों में ₹ 101.07 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई, जिसके कारण शासन को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।

(कंडिका 3.2.2.10)

खरीफ 2013 के दौरान, 42 जिलों के 3,362 पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के दर्शाए गए क्षेत्र की तुलना में बीमा किए गए क्षेत्र 9.06 लाख हेक्टेयर अधिक थे। इसके लिए विभाग ने किसानों द्वारा एक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने को उत्तरदायी ठहराया।

(कंडिका 3.2.2.12)

(iii) अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा (16 कंडिकाएं) में पाए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रतिवेदन में दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, नियमों और विनियमों के अनुपालन न किए जाने, औचित्यता के विरुद्ध व्यय और पर्याप्त तर्कसंगतता के बिना व्यय प्रकरण और सावधानी/शासन की विफलता से सम्बन्धित हैं। उनमें से कुछ को नीचे दिया गया है :

मार्कफेड भोपाल द्वारा परिवहन दरों को पूर्व वर्ष की तुलना में उच्चतर स्तर पर स्वीकार करने के निर्णय के कारण अतिरिक्त लागत ₹ 1.30 करोड़ आई।

(कंडिका 3.3.1)

अलीराजपुर, अनुपपूर, बैतूल (उत्तर) और विदिशा में शुद्ध वर्तमान मूल्य की उपयोग की अनन्तिम/गलत दरों के अपनाये जाने के परिणामस्वरूप अपयोजित भूमि के उपयोग हेतु उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 5.89 करोड़ के वसूली के लिए बकाया है।

(कंडिका 3.3.2)

मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारणों/बाघ रिजर्वों में प्रवेश की संशोधित दरों को लागू करने में विलंब के कारण शासन को ₹ 62.68 लाख की अपूर्णीय हानि हुई।

(कंडिका 3.3.3)

नर्मदा घाटी संभाग क्र. 32 में, टर्न की आधार पर एक निविदा के लिए निविदा आमंत्रण सूचना में केन्द्रीय उत्पाद छूट के लिए शर्त को सम्मिलित नहीं किया गया जिसके कारण ठेकेदार को राशि ₹ 22.26 करोड़ का अदेय लाभ हुआ जो अन्यथा परियोजना की घटी हुई लागत के रूप में शासन को होता।

(कंडिका 3.3.4)

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग सं. 7 सतना ने संविदा के प्रावधान के उल्लंघन में ठेकेदारों को ₹ 1.89 करोड़ के मोबीलाईजेशन अग्रिम को अनियमित रूप से प्रदान किया एवं शास्ति के ₹ 6.78 करोड़ कम वसूल किये।

(कंडिका 3.3.5)

कार्यपालन अभियंता ऑंकारेश्वर परियोजना नहर संभाग धामनोद (धार) ने पेट्रोल, ऑयल और ल्युब्रीकेन्ट के गलत मूल्य अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 7.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर ₹ 7.82 करोड़ की वसूली कर ली गई।

(कंडिका 3.3.6)

एनडी संभाग सं. 16 कुक्षी जिला धार में कार्यपालन यंत्री द्वारा सिंचाई विशिष्टियों के विरुद्ध सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग की अधिक मोटाई के गलत प्रावधान और क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.7)

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (पुल व सड़क) संभाग उज्जैन ने आई.आर.सी.-37 की विशिष्टियों के विरुद्ध क्रशर रन मैकेडम की अधिक मोटाई के क्रियान्वयन के कारण ₹ 98.25 लाख का अनाधिकृत भुगतान किया।

(कंडिका 3.3.8)

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ द्वारा दरों की अनुसूची में “कलीयरिंग और ग्रबिंग” मद के लिए उच्चतर दरों का अविवेकपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 4.76 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.9)

सिंहस्थ-2016 के अंतर्गत खान नदी व्यपवर्तन परियोजना के क्रियान्वयन में लेखापरीक्षा ने आर.सी.सी. पाईप की उच्चतर दर सम्मिलित करने के कारण ₹ 5.65 करोड़, कड़ी चट्टान के लिए वसूल न की गई रायल्टी के ₹ 3.26 करोड़, रेलवे प्राधिकारियों को ₹ 40.82 लाख भुगतान किए जाने के कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता एवं अस्थाई भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 48.85 लाख के अनियमित भुगतान अवलोकित किए।

(कंडिका 3.3.10)

जल संसाधन संभाग-I, झाबुआ में कार्यपालन अभियंता द्वारा संभाग की बहियों (कार्यस्थल की सामग्री) में खोदी गई हार्ड रॉक का मूल्य शामिल नहीं किया गया जिससे शासन को ₹ 21.23 करोड़ की संभावित हानि हुई।

(कंडिका 3.3.11)

अपर्याप्त प्राक्कलन और कमजोर आयोजना के कारण कम जल मार्ग क्षेत्र के साथ आर.सी.सी. डक्ट तथा व्यपवर्तन नहर के निर्माण के बाद भी सीपेज समस्या का हल नहीं किया जा सका। इसके कारण तिलवाड़ा बांयी तट नहर, संभाग केवलारी (सिवनी) के अंतर्गत संजय सरोवर भीमगढ़ दार्यों तट मुख्य नहर में ₹ 3.00 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.3.12)

कार्यपालन अभियंता पंचम नगर हट्टा ने सीमेंट कांक्रीट की मद में सम्मिलित किए गए 100 कि.मी. से रेत के लीड का त्रुटिपूर्ण प्रावधान के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.58 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(कंडिका 3.3.13)

जल संसाधन विभाग संभाग मनावर और शाजापुर में मिट्टी कार्य हेतु पूर्ण मद को लेने के बजाए मिट्टी कार्य हेतु गलत संयुक्त दर लेने के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.14)

चिपकने, न फूलने वाली मिट्टी को प्रदाय करने एवं लगाने की मद में उच्चतर दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप छ: जल संसाधन संभागों में ₹ 1.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.15)

सात संभागों की 11 योजनाओं के लिए 12 नहर लाइनिंग कार्यों में सिंचाई विशिष्टियों के विरुद्ध नहर कार्य में टेंपिंग के गलत प्रावधान और क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 77.36 लाख की अतिरिक्त लागत आई हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ₹ 12.56 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी है।

(कंडिका 3.3.16)